

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण


पत्रांक : 91 / प्र0अ0(त0स0) / जोन-1 / प्रस्ता0 / 2014 -15 दिनांक 15 / 03 / 2016

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का किसी स्थानीय निकाय या इलाहाबाद स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा; अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिकट्ट व स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 प्रकाश कुमार खेतान पुत्र स्व0 पशुपति नाथ खेतान एवं श्रीमती सुषमा खेतान फर्नी डा0 प्रकाश खेतान द्वारा प्लॉट नं0-5ए नया 2 (2/5ए) लाउचर रोड इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल प्रस्तावित नर्सिंग होम मानचित्र की स्वीकृति/निर्गमन उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 05-02-2016 के द्वारा निम्नांकित शर्तियों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लगाने/अधिगम किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अग्रिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत दिवसे ज्ञाने यह 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 07 अक्ष वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/आवेदिका का होगा।
5. स्थल पर सौर ताप हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से की जायेगी।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्बेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर नू गन जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
7. मेडिकल वेस्ट का निस्तारण अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग रूल्स 1998 अथवा अन्य प्रभावी नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।
8. नर्सिंग होम में संक्रामक रोग का इलाज निषिद्ध होगा। इस हेतु दिये गये शपथ पत्र (BSAC 355876 दिनांक 23.01.2016) का असरशः अनुपालन बाध्यकारी होगा।
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-2015/15047/इला0/142/सीएफओ दिनांक 25.11.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा (छायाप्रति संलग्न)।
10. क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झूँसी इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-GO1062/N-40/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/15 दिनांक 27.11.2015 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित शर्तों का अनुपालन करना होगा तथा निरन्तर नवीनीकरण करवा जाना आवश्यक होगा।



1. The building shall be constructed in accordance with the approved plans and specifications.

2. The building shall be constructed on the site shown in the approved plans.

3. The building shall be constructed in accordance with the approved specifications.

4. The building shall be constructed in accordance with the approved specifications.

5. The building shall be constructed in accordance with the approved specifications.

